	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 20, मंगलवार, शाके 1948- अगस्त 11, 2026 Sravana 20, Tuesday, Saka 1948- August 11, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 10, 2026

संख्या प.4(9)उद्योग/1/2026 :-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रिय अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 4 की उपधारा (1) सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के नियम 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा निम्नानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किये जाने हेतु अधिसूचना एतद्द्वारा जारी की जाती है:-

1. **परियोजना विकसित करने वाले का नाम:-** राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको)
2. **प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य:-** औद्योगिक क्षेत्र रेटा दुब्बी हेतु आवंटित 42.3667 हैक्टेयर भूमि तक 30 मीटर चौडाई के पहुंच मार्ग का निर्माण किए जाने हेतु
3. **भूमि का विवरण:-**

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	स्वामित्व
1.	दौसा	सिकराय	रेटा	1.3882 हैक्टेयर	संलग्न सूची अनुसार

4. **सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य:-**

i. प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना।

ii. प्रस्तावित अधिग्रहण के सम्पूर्ण क्षेत्र का विस्तृत दौरा कर प्रभावित होने वाले परिवारों तथा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से वार्ता करना, उनके विचार लेखबद्ध करना तथा पूर्ण प्रचार-प्रसार के पश्चात् जनसुनवाई करना। जनसुनवाई के दौरान व्यक्त सभी विचार-विमर्श को लेखबद्ध करना।

iii. प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले परिवारों के जीविकोपार्जन पर होने वाले प्रभाव एवं उचित मुआवजे का आंकलन करना।

iv. प्रभावित होने वाले परिवारों पर सम्भावित आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव का आंकलन करना तथा उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन करने हेतु प्रबन्धन योजना प्रस्तुत करना।

v. प्रस्तावित अधिग्रहण लोक प्रयोजनार्थ है, यह सुनिश्चित करना।

vi. प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या का सही आंकलन करना तथा उनके जीविकोपार्जन के वर्तमान साधनों का ज्ञात करना।

vii. प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में अवस्थित समस्त सार्वजनिक जनसम्पत्तियों यथा सडक मार्ग, सार्वजनिक व निजी मकान, विद्यालय, कार्यालय, स्वास्थ्य इकाइयों, आंगनबाडी केन्द्र, पेयजल स्रोत, उद्यान, श्मशान, प्रार्थना के स्थान यथा मन्दिर, मस्जिद इत्यादि को ज्ञात करना तथा उनके विस्थापन के प्रभाव का आंकलन करना।

viii. इस बात का समुचित निर्धारण करना कि प्रस्तावित क्षेत्र से कम क्षेत्र का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता तथा प्रस्तावित स्थान ही प्रस्तावित परियोजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्थान अधिग्रहण हेतु उपयुक्त नहीं है। साथ ही पूर्व में अधिग्रहित कोई अन्य भूमि आसपास अनुपयोगी स्थिति में उपलब्ध नहीं है।

ix. इस बात को सुनिश्चित करना कि परियोजना में सामाजिक समाघातों को हल करने हेतु होने वाले व्यय एवं परियोजना पर होने वाले व्यय, दोनों समग्र व्यय से परियोजना से अपेक्षित लाभ अधिक है।

x. ग्राम सभा, भू-स्वामियों की सहमति की आवश्यकता है अथवा नहीं? - नहीं

xi. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक अधिसूचना जारी होने की दिनांक से होगी।

xii. उक्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्य अधिसूचना जारी होने के 180 दिवस की अवधि के भीतर पूर्ण किया जावेगा।

xiii. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों की अक्षरशः पालना की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन (Social Impact Assessment Study Report) एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना (Social Impact Management Plan) तैयार कर हिन्दी भाषा में संबंधित ग्राम पंचायतों, जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी तथा तहसील कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। साथ ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि के निकट सुविधाजनक स्थानों पर इस अधिसूचना को जनसाधारण की जानकारी हेतु चस्पानगी करानी होगी। संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय की सरकारी वेबसाइट, विभागों

एवं एजेन्सियों की वेबसाइट पर अपलोड की जानी होगी तथा दो स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों (राज्य स्तरीय) में प्रकाशित किया जाना होगा।

6. **सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु एजेन्सी का विवरण:-**

प्रभु फाउण्डेशन सोसायटी, - 0141-6764614/
RUBY-904, अरबाना ज्वैल्स, 9414046348
मुहाना मण्डी गेट नं.-1 के पास,
सांगानेर, जयपुर-302029

7. भूमि अवाप्ति अधिकारी, रीको को उक्त भूमि अवाप्ति हेतु अधिनियम, 2013 की धारा 3(g) के अनुसार कलेक्टर के कृत्यों को पालन करने के लिए पदाभित किया जाता है।

अपेक्षक निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी का विवरण:-

श्री टी.सी. भट्ट, क्षेत्रीय प्रबन्धक, - 9414041834
इकाई प्रभारी, दौसा, रीको

संलग्न:- सूची।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महिपाल कुमार,
शासन उप सचिव

औद्योगिक क्षेत्र रेटा दुब्बी हेतु आवंटित 42.3667 हैक्टेयर भूमि तक 30 मीटर चौडाई के पहुंच मार्ग के लिए अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का खसरावार विवरण

ग्राम रेटा, तहसील सिकराय, जिला दौसा

क्र. स.	खाता संख्या	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	अवाप्त किया जाना जाने वाला भूमि का रकबा (हैक्टेयर में)	खातेदार का नाम
1.	427	925/381	0.1200	गै.मु.सड़क	0.0428144	1. भारतीय रा.रा.मार्ग प्राधिकरण हिस्सा -पूर्ण संस्था के लिए,

2.	65	924/381	1.4200	चाही 1	0.2943274	1. उर्मिला विजय पुत्री सत्यनारायण हिस्सा -1/30 जाति -महाजन सा. दुब्बी खातेदार 2. कैलाश पुत्र शिवप्रसाद हिस्सा -1/36 जाति -महाजन सा. दुब्बी खातेदार 3. घनश्याम पुत्र सेड़मल हिस्सा -1/8 जाति -महाजन सा. दुब्बी खातेदार 4. द्वारकाप्रसाद पुत्र शिवप्रसाद हिस्सा -1/36 जाति -महाजन सा. दुब्बी खातेदार 5. निर्मला विजय पुत्री सत्यनारायण हिस्सा -1/30 जाति -महाजन सा. दुब्बी खातेदार 6. प्रभूदयाल पुत्र शिवप्रसाद हिस्सा -1/36 जाति -महाजन सा. दुब्बी खातेदार 7. बजरंगलाल पुत्र सेड़मल हिस्सा -1/8 जाति -महाजन सा. दुब्बी खातेदार 8. भगवानसहाय पुत्र शिवप्रसाद हिस्सा -1/36 जाति -महाजन सा. दुब्बी खातेदार 9. मु.गुलाब पत्नि शिवप्रसाद हिस्सा -1/36 जाति -महाजन सा. दुब्बी खातेदार 10. मधु राजेन्द्र कुमार पुत्री सत्यनारायण हिस्सा -1/30 जाति -महाजन सा. दुब्बी खातेदार 11. मनभरी देवी पत्नि स्व .

						सत्यनारायण हिस्सा -1/30 जाति -महाजन सा. दुब्बी खातेदार 12. मनोहरलाल पुत्र छाजूलाल हिस्सा -1/6 जाति -महाजन सा. दुब्बी खातेदार 13. मोहनलाल पुत्र सेड़मल हिस्सा -1/8 जाति -महाजन सा. दुब्बी खातेदार 14. राधेश्याम पुत्र शिवप्रसाद हिस्सा -1/36 जाति -महाजन सा. दुब्बी खातेदार 15. शिवशंकर पुत्र सेड़मल हिस्सा -1/8 जाति -महाजन सा. दुब्बी खातेदार 16. सुशील कुमार विजय पुत्र सत्यनारायण हिस्सा -1/30 जाति -महाजन सा. दुब्बी खातेदार,
3.	403	386/925	0.1900	गै.मु.टीबा	0.0104199	1. घनश्याम पुत्र सेडमल हिस्सा -पूर्ण जाति -महाजन सा. दुब्बी खातेदार,
4.	357	384	2.4700	बारानी 1	0.4236677	1. गिर्राजप्रसाद पुत्र सुरेन्द्रकुमार हिस्सा -1/2 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 2. शिवकुमार पुत्र सुरेन्द्रकुमार हिस्सा -1/2 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार,
5.	255	397	1.6600	बारानी 1	0.0236813	1. गोपाल पुत्र रामप्रसाद हिस्सा -1/4 जाति-मीना सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) PNB शाखा सिकन्दरा मुर्त. 2. गोबन्दी देवी पत्नि स्व.

						कजोड हिस्सा -1/16 जाति-मीना सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/16 (पूर्ण खाता) ICICI बैंक लि .शाखा बाँदीकुई मुर्त. 3. बीना देवी पुत्री कजोड हिस्सा -1/16 जाति-मीना सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/16 (पूर्ण खाता) ICICI बैंक लि .शाखा बाँदीकुई मुर्त. 4. मूलचन्द पुत्र रामप्रसाद हिस्सा -1/4 जाति-मीना सा. देह खातेदार 5. मांगीलाल पुत्र रामप्रसाद हिस्सा -1/4 जाति-मीना सा. देह खातेदार 6. राजेश कुमार पुत्र कजोड हिस्सा -1/16 जाति-मीना सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/16 (पूर्ण खाता) ICICI बैंक लि .शाखा बाँदीकुई मुर्त. 7. विमलेश कुमार पुत्र कजोड हिस्सा -1/16 जाति-मीना सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/16 (पूर्ण खाता) ICICI बैंक लि .शाखा बाँदीकुई मुर्त.,
6.	196	398	1.0100	बारानी 1	0.2377093	1. जयसिंह पुत्र किशना हिस्सा -1/2 जाति-मीना सा. देह खातेदार, 2. बाबूलाल पुत्र किशना हिस्सा -1/2 जाति-मीना सा. देह

						खातेदार,
7.	45	399	1.2600	बारानी 1	0.2776630	1. कल्याणसहाय पुत्र मूलचन्द हिस्सा -1/6 जाति-मीना सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) PNB शाखा सिकन्दरा मुर्त . 2. गिर्राजप्रसाद पुत्र रामसहाय हिस्सा -1/6 जाति -मीना सा. देह खातेदार 3. तेजराम पुत्र रामसहाय हिस्सा -1/6 जाति -मीना सा. देह खातेदार 4. फैली पुत्र मूल्या हिस्सा -1/6 जाति -मीना सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) PNB शाखा सिकन्दरा मुर्त. 5. राकेशकुमार पुत्र ग्यारसा हिस्सा -1/6 जाति -मीना सा. देह खातेदार 6. हीरालाल पुत्र ग्यारसा हिस्सा -1/6 जाति -मीना सा. देह खातेदार,
8.	236	400	0.7600	चाही 1	0.0779551	1. कमला देवी पत्नि महेश कुमार हिस्सा -1/6 जाति -मीना सा. देह खातेदार 2. मुकेशी कुमारी पत्नि उम्मेद कुमार हिस्सा -1/6 जाति -मीना सा. देह खातेदार 3. ममता कुमारी पत्नि रिंकू कुमार हिस्सा -1/6 जाति -मीना सा. देह खातेदार

						4. सुमन देवी पत्नि शम्भूदयाल हिस्सा -1/2 जाति -मीना सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंड़िया शाखा SIKANDRA,
कुल रकबा			**8.8900**		**1.3882**	

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.4(9)उद्योग/1/2026 **जयपुर, दिनांकः** ई–हस्ताक्षरानुसार

<u>शुद्धि–पत्र</u>

राजस्थान राजपत्र (असाधारण) भाग–1(ख) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या प.4(9)उद्योग/1/2026 दिनांक 10.08.2026, जो राजस्थान राजपत्र दिनांक 11.08.2026 में प्रकाशित हुई है, के अन्तर्गत अधिसूचना की दिनांक 10.08.2026 मुद्रण/टंकण त्रुटिवश अशुद्ध प्रकाशित हो गई है, जिसे दिनांक 10.07.2026 के अनुसार समझा, पढा एवं लिखा जावे।

उक्त संशोधन के अतिरिक्त अधिसूचना की अन्य समस्त प्रविष्टियाँ, उपबन्ध, शर्तें एवं प्रावधान यथावत एवं पूर्ववत प्रभावशील रहेंगे।

(महिपाल कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त एवं आयुक्त, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, दौसा एवं अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, दौसा–बांदीकुई, राजस्थान।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, दौसा–बांदीकुई, राजस्थान।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को वास्ते असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ।
8. भूमि अवाप्ति अधिकारी, रीको, जयपुर
9. उपखण्ड अधिकारी, सिकराय, जिला दौसा, राजस्थान।
10. तहसीलदार, सिकराय, जिला दौसा, राजस्थान।
11. ग्राम पंचायत रेटा, तहसील सिकराय, जिला दौसा, राजस्थान।
12. प्रभु फाउण्डेशन जरिये श्री रामयश चौबे, RUBY-904, अरबाना ज्वैल्स, मुहाना मण्डी गेट नं.–1 के पास, सांगानेर, जयपुर–302029
13. प्रोग्रामर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

RajKaj Ref No.: 23971396
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Mahipal Kumar
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2026.08.[illegible] [illegible]8:24:07 IST
Reason: Approved